प्रारूप 2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सिरोही राजस्थान

संख्यांक : 174 दिनांक : 10.01.2012

प्रबन्धक,

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक .... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं ....इम्मानुएल मिशन सिरोही (उमा)........ को सत्र 2012–13 के लिय कक्षा एक से कक्षा आठ (....अंग्रेजी माध्यम) तक 31 मार्च, 2013 तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है.

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उसे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि

   1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   5. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जायेगा।

Principal
EMMANUEL MISSION SR. SEC. SCHOOL
Goily Road, Sirohi-307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. - 1730811
C.B.S.E. School Code - 11157

Manager
Emmanuel Mission Sr. Sec. School,
Goily Road, SIROHI - 307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।तथा वर्तमान मे आपके विघालय मे उपलब्ध भौतिक संसाधन आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा प्रपत्र 1 मे लिखे गए दिखाए गए है।
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 1074 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करनें के लिए जारी किए जाऐं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।.........विद्यालय द्वारा **आरटीई की धारा 19 व 25 मे वर्णित मानदण्डो (विद्यालय के लिए मान और मानक अनुसूची) को दिनॉक 31 मार्च 2013 तक पूर्ण करने की शर्त के अधीन अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।**

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
सिरोही

Principal
EMMANUEL MISSION SR. SEC. SCHOOL
Goily Road, Sirohi-307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. - 1730811
C.B.S.E. School Code - 11157

Manager
Emmanuel Mission Sr. Sec. School,
Goily Road, SIROHI - 307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

PERMANENT AFFILIATION OF RTE

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकःजिशिअ/मुप्राशि/सि/आरटीई/2023/1189 दिनांकः 26/10/23

प्रेषितः
सचिव/प्रधानाचार्य
इम्मानुएल मिशन सी.सै. स्कूल
गोयली रोड, सिरोही।

विषय :– आरटीई मान्यता प्रारूप–2 के संबंध में।
प्रसंग :– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा स्थानीय कार्यालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नवीनतम आरटीई मान्यता प्रारूप–2 की मांग की गई है, उक्त के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि :–

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.12(6)शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 05.03.2018 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/पीएसपी/मूल मान्यता/19654/2018–19/87 दिनांक 24.04.2018 में प्राप्त निर्देश बिन्दु संख्या–2 " **इन संशोधित नियमों के लागू होने से पूर्व से संचालित जिन गैर सरकारी विद्यालयों ने स्वघोषणा (प्रारूप–1) में सूचना भर कर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा करवा दी थी, जिनका निरीक्षण हुआ था तथा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मान मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जावें तथा ऐसे आदेश जारी किए जावें।** "

अतः उक्त आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 174 दिनांक प्रारूप–2 को स्थाई मान्यता मानी जावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,सिरोही

क्रमांकःजिशिअ/मुप्राशि/सि/आरटीई/2023/1189 दिनांकः 26/10/23
प्रतिलिपिः–
01. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
02. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही।
04. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,सिरोही

Manager
Emmanuel Mission Sr. Sec. School,
Goily Road, SIROHI - 307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811

Signature valid
Digitally signed by Mangi Lal
Designation: Additional District Project Coordinator
Date: 2023.10.23 17:48:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4909069

Principal
Emmanuel Mission Sr. Sec. School,
Goily Road, SIROHI - 307001 (Raj.)
C.B.S.E. Affiliation No. 1730811